बिहार से केन्द्रीय करों की वसूली

9999. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 के दौरान सरकार ने बिहार से आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और धन कर के रूप में कितना राजस्व वसूल किया ; और

(ख) इसमें से बिहार को अलग से कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयकर आयुक्त बिहार, पटना के अधिकार क्षेत्र से आयकर और धन–कर के रूप में तथा बिहार राज्य से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में वर्ष 1971–72 के दौरान जो रकमें वसूल हुई हैं उनका विवरण नीचे दिया गया है :–

	करोड़ रुपयों में
आयकर जिसमें निगम कर शामिल है	12.77
धन–कर	0.23
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	119.77

*इन आंकड़ों में लोह अयस्क उपकर, कोयला उपकर, रबड़ उपकर और नमक उपकर शामिल नहीं हैं ।

(ख) धन–कर का बंटवारा राज्यों के साथ नहीं होता । वर्ष 1971–72 में बिहार राज्य को उसके हिस्से के रूप में आयकर की वसूलियों में से 45.13 करोड़ रुपये और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सभाहरण में से 57.64 करोड़ रुपये की शुद्ध रकम का भुगतान किया गया ।

केन्द्रीय सीमा-शुल्क और उत्पादक-शुल्क विभाग में विशेष वेतन वाले पदों पर डिप्टी कलक्टर की नियुक्ति के लिए चयन

10000. **श्री मोहनराज कलिंगारायर :** क्या वित्त मंत्री 6 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6263 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नियुक्त कितने डिप्टी कलक्टर उस डिप्टी कलक्टर से वरिष्ठ हैं जिसे विशेष वेतन वाले पद पर नियुक्त करने के लिये चुना गया और चंडीगढ़ से बुलाया गया और क्या इस पद हेतु चयन के समय उनके नामों पर भी विचार किया गया था ;

(ख) क्या उन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया और यदि हां, तो किस प्रकार ;

(ग) क्या वर्तमान पदधारी की आयुक्त के पद पर संभावित पदोन्नति को देखते हुए उक्त पद को आयुक्त के दर्जे का पद बनाया जा रहा है जिससे कि वह उस पर आसीन रह सके ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस प्रकार के 21 उप–समाहर्ता थे । उनमें से 7 को समाहर्ता के ग्रेड में पदोन्नति के लिये पहले ही चुन लिया गया था और उनकी शीघ्र ही पदोन्नति की जानी थी तथा 7 अन्य अधिकारी पहले से ही विशेष वेतन वाले पदों पर कार्य कर रहे थे । इसलिये इन 14 अधिकारियों के बारे में विचार नहीं किया गया । शेष 7 अधिकारियों के बारे में विचार किया गया था ।

(ख) जिन 7 अधिकारियों के बारे में विचार किया गया था, उन में से दो अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही में ग्रस्त थे । एक अन्य अधिकारी को उसी पद पर बने रहने दिया गया जिस पर वह कार्य कर रहा था और उस पद के लिये भी विशेष वेतन स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था । शेष चार अधिकारियों के बारे में विचार किया गया लेकिन जिस अधिकारी को चुना गया था, उसे, सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क दोनों विभागों के संबंध में उसके ज्ञान, अनुभव रुझान आदि को ध्यान में रखकर अधिक उपयुक्त समझा गया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।